रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1998/चैत्र 9, 1920
No. 99] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1998/CHAITRA 9, 1920

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1998

सा. का . नि. 152 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं० आ० 168"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 1998

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1998 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1997 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के संबंध में राजस्व सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि पर भारित होगा —

(क) पंचायती राज्य संस्थाओं को अनुदानों के संबंध में नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां ,—

सारणी

राज्य	रूपए, लाखों में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	6581.25
अरूणाचल प्रदेश	28.25
असम	833.50

(1)	(2)
गोवा	37.00
गुजरात	1200.00
हरियाणा	516.50
हिमाचल प्रदेश	805.00
जम्मू-कश्मीर	235.00
कर्नाटक	1386.00
केरल	4470.00
मध्य प्रदेश	2179.25
महाराष्ट्र	8675.00
मणिपुर	58.25
मेघालय	54.00
मिजोरम	18.50
नागालैंड	29.00
उड़ीसा	2512.50
पंजाब	646.00
राजस्थान	3978.00
सिक्किम	12.00
तमिलनाडु	7183.00
त्रिपुरा	348.00
उत्तर प्रदेश	14241.00
पश्चिमी बंगाल	2084.00

परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज्य संस्थाओं को संदत्त की जाएगी और ये राशियां राज्य सरकार के पंचायती राज्य संस्थाओं को दी जा रही राशियां के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 10 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफरिशों के अनुसार और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए पुनरीक्षित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदानों के संबंध में नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :—

सारणी

राज्य	रूपए, लाखों में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	1448.00
अरूणाचल प्रदेश	0.75
असम	88.75
गुजरात	421.50
हरियाणा	415.00
हिमाचल प्रदेश	51.00
जम्मू-कश्मीर	75.50
कर्नाटक	438.75
केरल	159.00

(1)	(2)
मध्य प्रदेश	386.00
महाराष्ट्र	831.00
मणिपुर	14.00
मेघालय	9.25
मिजोरम	2.25
नागालैंड	3.50
उड़ीसा	239.00
पंजाब	191.25
राजस्थान	810.00
सिक्किम	3.50
तमिलनाडु	2888.00
त्रिपुरा	26.00
उत्तर प्रदेश	2271.75
पश्चिमी बंगाल	752.00

परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी, स्थानीय निकायों द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 10 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफरिशों के अनुसार और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएंगी।

(2) उप पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के प्रत्येक परन्तुक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

के० आर० नारायणन,
राष्ट्रपति

[फा० सं० 19(2)/98-वि०-1]
रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1998

G.S.R. 152 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C. O. 168"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 2 ORDER, 1998

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenue) No. 2 Order, 1998.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1997, as grants-in-aid of the revenues of—

(*a*) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	6581.25
Arunachal Pradesh	28.25
Assam	833.50
Goa	37.00
Gujarat	1200.00
Haryana	516.50
Himachal Pradesh	805.00
Jammu and Kashmir	235.00
Karnataka	1386.00
Kerala	4470.00
Madhya Pradesh	2179.25
Maharashtra	8675.00
Manipur	58.25
Meghalaya	54.00
Mizoram	18.50
Nagaland	29.00
Orissa	2512.50
Punjab	646.00
Rajasthan	3978.00
Sikkim	12.00
Tamil Nadu	7183.00
Tripura	348.00
Uttar Pradesh	14241.00
West Bengal	2084.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government;

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Tenth Finance Commission contained in Chapter X of its report and in the revised guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in the column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1448.00
Arunachal Pradesh	0.75
Assam	88.75
Gujarat	421.50
Haryana	415.00
Himachal Pradesh	51.00
Jammu and Kashmir	75.50
Karnataka	438.75
Kerala	159.00

(1)	(2)
Madhya Pradesh	386.00
Maharashtra	831.00
Manipur	14.00
Meghalaya	9.25
Mizoram	2.25
Nagaland	3.50
Orissa	239.00
Punjab	191.25
Rajasthan	810.00
Sikkim	3.50
Tamil Nadu	2888.00
Tripura	26.00
Uttar Pradesh	2271.75
West Bengal	752.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Tenth Finance Commission as contained in Chapter X of its report and in the revised guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to caluse (1) of article 275.

K.R. NARAYANAN,
President

[F.No. 19(2)/98-L-1]
RAGHBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.